कार्यालय– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली, जिला कोटपूतली–बहरोड़

क्रमांक/पीए/2026/558 दिनांक 15.10.2026

–:: कार्यालय आदेश ::–

मैं स्वाति पारीक, आर.जे.एस., मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली, जिला कोटपूतली–बहरोड़ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 15(2) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यालय हाजा के आदेश क्रमांक 66 दिनांक 02.07.2025 में प्रशासनिक आवश्यकताओं को देखते हुए आंशिक अतिलंघन करते हुए कॉलम संख्या 02 में अंकित आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले समस्त प्रकरणों की सुनवाई की क्षेत्राधिकारिता में कॉलम संख्या 03 में अंकित न्यायालय को अग्रलिखितानुसार प्रदत्त करती हूँ:–

क्रम	आरक्षी केन्द्र का नाम	न्यायालय जिसको क्षेत्राधिकार दिया गया
(1)	(2)	(3)
01.	बहरोड़ सदर	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–01 बहरोड़
02.	नीमराणा	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमराणा
03.	पुलिस थाना मांढण एवं शाहजहांपुर ग्राम न्यायालय की अधिकारिता से संबंधित मामलों को छोड़कर	न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमराणा
04.	**(क)** हरसौरा व बासदयाल में दर्ज होने वाले आपराधिक प्रकरण **(ख)** हरसौरा व बासदयाल क्षेत्र में उद्भूत समस्त आबकारी प्रकरण	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बानसूर

नोटः–

1. यह आदेश दिनांक **15.10.2026 व 16.10.2026** को मध्यरात्रि **12.00** बजे से प्रभावी रहेगा। उपर्युक्त तालिका के कॉलम नंबर 2 में वर्णित आरक्षी केन्द्रों के अंतर्गत उद्भूत होने वाले उपरोक्त वर्णनानुसार प्रकरणों के क्षेत्राधिकार को छोड़कर शेष आरक्षी केन्द्रों को प्रदत्त किए गए न्यायिक क्षेत्राधिकार कार्यालय हाजा के आदेश क्रमांक 66 दिनांकित 02.07.2025 व आदेश क्रमांक 214 दिनांक 02.08.2025 के अनुसार यथावत् ही रहेंगे।

Swati Parik
15/10/26

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोटपूतली, जिला–कोटपूतली–बहरोड़

2. इस कार्यालय के पूर्व आदेश कमांक 66 दिनांकित 02.07.2025 व आदेश कमांक 214 दिनांक 02.08.2025 के अनुसार दर्ज समस्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में नतीजे एवं अन्य समस्त कार्यवाही पूर्ववत् रूप से पेश होगी। दिनांक **15.10.2026 व 16.10.2026** की मध्यरात्रि 12:00 बजे के पश्चात् से उपरोक्त पुलिस थाना क्षेत्र में उद्भूत होने वाली समस्त प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं समस्त कार्यवाहियों के संबंध में क्षेत्राधिकार इस आदेश के अनुसार होगा।

Qwali Qaaq 15/10/26

(स्वाति पारीक)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोटपूतली, जिला कोटपूतली–बहरोड़
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोटपूतली, जिला–कोटपूतली–बहरोड़

क्रमांकः– 559 - 565 दिनांक 15.10.2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ सादर प्रेषित हैः–

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, कोटपूतली, जिला कोटपूतली–बहरोड़।
2. समस्त पीठासीन अधिकारी, कोटपूतली–बहरोड़ जिला न्यायक्षेत्र, जरिये ई–मेल।
3. पुलिस अधीक्षक, कोटपूतली, जिला कोटपूतली–बहरोड़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह अपने अधीनस्थ संबंधित समस्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, वृताधिकारी एवं थानाधिकारियों को इस आदेश से आवश्यक रूप से अवगत करावें।
4. सहायक निदेशक, अभियोजन, जिला कोटपूतली–बहरोड़, जरिये ई–मेल।
5. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, कोटपूतली, बहरोड़, बानसूर, पावटा, विराटनगर, नीमराणा।
6. कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर एक प्रति चस्पा की जावें।
7. आदेश पत्रावली/कार्यालय पत्रावली।

Qwali Qaaq 15/10/26

(स्वाति पारीक)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोटपूतली, जिला कोटपूतली–बहरोड़
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोटपूतली, जिला–कोटपूतली–बहरोड़

कार्यालय– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली, जिला कोटपूतली–बहरोड़

क्रमांक 114

दिनांक 02.08.2025

–:: कार्यालय आदेश ::–

मैं डिम्पल जन्डेल, आर.जे.एस. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली, जिला कोटपूतली–बहरोड़ माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, कोटपूतली, जिला कोटपूतली बहरोड़ के अनुमोदन पत्र क्रमांकः 542/स्था. दिनांक 01.08.2025 की अनुपालना में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 15(2) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यालय हाजा के आदेश क्रमांक 66 दिनांक 02.07.2025 में प्रशासनिक कारणों से आंशिक अतिलंघन करते हुए कॉलम संख्या 02 में अंकित आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले समस्त प्रकरणों की सुनवाई की क्षेत्राधिकारिता में कॉलम संख्या 03 में अंकित न्यायालय को अग्रलिखितानुसार प्रदत्त करती हूँः–

क्रम	आरक्षी केन्द्र का नाम	न्यायालय जिसको क्षेत्राधिकार दिया गया
(1)	(2)	(3)
01.	भाबरू	न्यायिक मजिस्ट्रेट, विराटनगर
02.	(क) नारायणपुर (ख) नारायणपुर क्षेत्र में उद्भूत समस्त आबकारी प्रकरण (ग) हरसौरा व बासदयाल क्षेत्र में उद्भूत समस्त आबकारी प्रकरण।	न्यायिक मजिस्ट्रेट, बानसूर
03.	बानसूर क्षेत्र में उद्भूत समस्त आबकारी प्रकरण	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बानसूर
04.	कोटपूतली, सरूण्ड, पनियाला क्षेत्र में उद्भूत समस्त मोटरयान अधिनियम	न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली

नोटः–

1. यह आदेश आज दिनांक **02.08.2025** को रात्रि **12.00** बजे से प्रभावी रहेगा। उपर्युक्त तालिका के कॉलम नंबर 2 में वर्णित आरक्षी केन्द्रों के अंतर्गत उद्भूत होने वाले उपरोक्त वर्णनानुसार प्रकरणों के क्षेत्राधिकार को छोड़कर शेष आरक्षी केन्द्रों को प्रदत्त किए गए न्यायिक क्षेत्राधिकार कार्यालय हाजा के आदेश क्रमांक 66 दिनांकित 02.07.2025 के अनुसार यथावत् ही रहेंगे।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोटपूतली, जिला–कोटपूतली–बहरोड़

कार्यालयः– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली, जिला कोटपूतली–बहरोड़

क्रमांकः– 66. दिनांकः– 02.07.2025

–: कार्यालय आदेश :–

राज्य सरकार के विधि एवं विधिक कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1(02)न्याय/2023 दिनांक 02.06.2025 तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश क्रमांक स्था./आर.जे.एस./87/2025 दिनांक 04.06.2025 की पालना में नवसृजित सेशन खण्ड कोटपूतली–बहरोड़ में कोटपूतली मुख्यालय पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय का सृजन किया जाकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली का पदस्थापन किया गया है, अतः मैं **डॉ. अजय कुमार बिश्नोई, आर.जे.एस. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली, जिला कोटपूतली–बहरोड़** माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, कोटपूतली, जिला कोटपूतली–बहरोड़ के पत्र क्रमांकः 267/स्था.दिनांक 02.07.2025 की अनुपालना में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 15(2) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कॉलम संख्या 02 में अंकित आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले समस्त प्रकरणों की सुनवाई की क्षेत्राधिकारिता कॉलम संख्या 03 में अंकित न्यायालय को अग्रलिखितानुसार प्रदत्त करता हूँ।

कोटपूतली–बहरोड़ जिला न्यायक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पुलिस थाने व उनका क्षेत्राधिकारः–

क्रम संख्या	आरक्षी केन्द्र का नाम	न्यायालय (न्यायालय जिसमें क्षेत्राधिकार दिया गया है)
01	02	03
1.	कोटपूतली	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली।
2.	सरूण्ड	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कम 02 कोटपूतली।
3.	पनियाला	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कम 01 कोटपूतली।
4.	महिला थाना कोटपूतली	अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली।
5.	आबकारी निरोधक दल कोटपूतली	अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली।
6.	आबकारी वृत, कोटपूतली	अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली।
7.	प्रागपुरा	न्यायिक मजिस्ट्रेट, पावटा।
8.	आबकारी निरोधक दल, प्रागपुरा–पावटा	न्यायिक मजिस्ट्रेट, पावटा।
9.	विराटनगर	न्यायिक मजिस्ट्रेट, विराटनगर।

डॉ. अजय कुमार विश्नोई
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोटपूतली, जिला–कोटपूतली–बहरोड़

10.	बानसूर	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बानसूर।
11.	हरसौरा	न्यायिक मजिस्ट्रेट, बानसूर।
12.	बासदयाल	न्यायिक मजिस्ट्रेट, बानसूर।
13.	बहरोड़ कोतवाली	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बहरोड़।
14.	बहरोड़ सदर	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कम 03 बहरोड़।
15.	माँढण	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कम 01 बहरोड़।
16.	नीमराणा	ग्राम न्यायालय एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट नीमराणा।
17.	शाहजहाँपुर	ग्राम न्यायालय एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट नीमराणा।
18.	आबकारी निरोधक दल, बहरोड़	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कम 02 बहरोड़।
19.	आबकारी वृत, बहरोड़	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कम 02 बहरोड़।
20.	आबकारी निरोधक दल, शाहजहाँपुर	न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमराणा।
21	भाबरू	न्यायिक मजिस्ट्रेट, पावटा।
22	नारायणपुर	न्यायिक मजिस्ट्रेट, विराटनगर।

नोट:–

1. पुलिस थाना कोटपूतली, सरूण्ड, पनियाला के अंतर्गत उद्भूत होने वाले आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरणों तथा मोटरयान अधिनियम के समस्त प्रकरणों का क्षेत्राधिकार न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली के अंतर्गत यथावत रखा जाता है।

2. सेशन खण्ड कोटपूतली–बहरोड़ में स्थित कोटपूतली, पावटा, तथा विराटनगर मुख्यालय में उद्भूत होने वाले ऐसे प्रकरण, जिनकें उपबंधों के अनुसार उक्त प्रकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा ही विचारणीय है, की सुनवाई का क्षेत्राधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली, जिला कोटपूतली–बहरोड़ को प्रदत्त किया जाता है।

3. सेशन खण्ड कोटपूतली–बहरोड़ में स्थित बहरोड़ तथा नीमराणा मुख्यालय में उद्भूत होने वाले ऐसे प्रकरण, जिनकें उपबंधों के अनुसार उक्त प्रकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा ही विचारणीय है, की सुनवाई का क्षेत्राधिकार अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम 02 बहरोड़, जिला कोटपूतली–बहरोड़ के अंतर्गत यथावत रखा जाता है।

4. सेशन खण्ड कोटपूतली–बहरोड़ में स्थित बानसूर मुख्यालय में उद्भूत होने वाले ऐसे प्रकरण, जिनकें उपबंधों के अनुसार उक्त प्रकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा ही विचारणीय है, की सुनवाई का क्षेत्राधिकार अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बानसूर, जिला कोटपूतली–बहरोड़ को प्रदत्त किया जाता है।

डॉ. अजय कुमार विश्नोई
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोटपूतली, जिला–कोटपूतली–बहरोड़